वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत चक 36 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 42/38. खाता जगराज सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में कुल क्षैत्रफल 4.807 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्ठि को विलोपित किया जाकर वादी बसन्तसिंह उर्फ सन्तसिंह पुत्र श्री जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 09, चक 5 बी.बी. "ए", तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज.) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा चक 5 बी.बी."ए" तहसील पदमपुर के खाता संख्या 30/32 खाता कुलवन्त सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर में से 3.162 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 जगराज सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 09, चक 5 बी.बी."ए" तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज.) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी बसन्तसिंह उर्फ सन्तसिंह पुत्र श्री जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 09, चक 5 बी.बी."ए", तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज.) का नाम विलोपित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़/पदमपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 21.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner